

jftLV^h laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99

la- 160]

ubZ fnYyh] lkseokj] ekpZ 6] 2017@iQkYxqu 15]

1938 No. 160]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 6, 2017/PHALGUNA 15, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

(वन संरक्षण ०२भाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2017

सा.का.नि. 200(अ).—केन्द्रीय सरकार, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) की धारा 4 की उप-धारा

(1) ~~इस~~ द्वारा ०२ दत्त त शिष्य का ०२ योग करते हुए, वन (संरक्षण) नियम, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्न निलिखत नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वन (संरक्षण) संशोधन नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र मध् ०२ काशन की तारीख को लागू होंगे।

2 वन (संरक्षण) नियम, 2003 मध् -

(क) नियम 2 मध्, धारा (ग क) के पश्चात्, निम्न निलिखत धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

‘(गकक) "जिला कलक्टर" से यथास्थित राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र शासन द्वारा जिला कलक्टर अथवा

उप-आयुक्त के पदाभिधान अथवा ऐसे किसी सदृश पदाभिधान के अधीन उस वन भूमि, जिसके लिए अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन अपेक्षित है, पर क्षेत्राधिकार रखने वाले राजस्व विजले के शासन का भार

धारण करने के लिए नियुक्त किया गया अधिकारी अभिज्ञेत है।’;

(ख) नियम 6 मध् -

1261 GI/2017 (1)

(i) उप-नियम (3) मध्, खंड (ड.), (च) और (छ) के स्थान पर निम्न निलिखत खंड ८ मध्: रखे जाएंगे,

अर्थात्:-

"(ड.) जिला कलक्टर-

(i) ०२ स्ताव मध् उपदिशत पूर्ण वन भूमि हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के उपबंधों के अनुसार वन अधिकारों को मान्यता देने और उन्हें निहत करने की ०२ िया पूरी करेगा;

(ii) अपवर्तन के ०२ योजन तथा ब्यौरे, जहां कहल अपेक्षित हो, को समझ लेने पर ऐसी वन भूमि के अपवर्तन तथा ०२ तित्पूरक और सुधारात् मक उपाय, यदि कोई हो, के ०२ स्ताव मध्

इंगित संपूर्ण वन भूमि अथवा इसके भाग पर क्षेत्राधिकार रखने वाली स्थायी एक जलम सभा से सहमित स्थापित करना; और

(iii) इस संबंध में अपने निष्कर्ष को वन संरक्षक को अर्पित करना;

(च) खंड (ड.) में निर्दिष्ट संपूर्ण क्षेत्र, स्थायी के अधिनियम के अधीन सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन स्वीकृत किए जाने हेतु इन नियमों में नियत समयावधि के अन्दर, जिला कलेक्टर द्वारा पूरी की जाएगी;

(छ) वन संरक्षक स्थायी के तत्पश्चात् मकबूरों एवं व्यवहार्यता की जांच करेगा, अपवित्त की जाने वाली

स्थायित्व वन

भूमि का

क्षेत्रफल 40 हेक्टेयर से अधिक होने की दशा में स्थल पर निरीक्षण करेगा, और अपनी सिफारिश के साथ

स्थायी नोडल अधिकारी को अर्पित करेगा;" ;

(ii) उप-नियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :

"(5)(क) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, संरक्षित क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिकी-संवेदी

जोन, अभिज्ञात बाघ कोरिडोर तथा 10 प्रतिशत से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र से बाहर के खनन ब्लॉकों में वृक्षों की कटाई किए बिना खनन का पूर्वोक्षण करने तथा नई सड़क अथवा मार्ग के संनिर्माण के लिए इस अधिनियम के अधीन अनुमोदन स्थापित करने का स्थायी। स्थायी ता

अभिकरण द्वारा शीघ्र घनत्व, भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा कांशित नवीनतम भारत वन

स्थिति रिपोर्ट के अनुसार एक पृष्ठ के रूप में एक भू-संदिग्ध मानिचू सहित स्थायी तुल्य किया

जाएगा जिसमें पूर्वोक्षण किए जाने वाले ब्लॉक की सीमा, स्थायी एक बोर-होल स्थल तथा

पूर्वोक्षण हेतु स्थायी की जाने वाली सड़क अथवा मार्ग की अवस्थित उपदिशत की गई हो; और इस

आशय का एक स्थायी पृष्ठिक स्थायी नोडल अधिकारी की पूर्वोक्त अपेक्षा को पूरा करता है;

(ख) नोडल अधिकारी खंड (क) के अधीन स्थायी स्थापित हो जाने पर और उसका यह समाधान हो जाने

परिक भू-संदिग्ध मानिचू और स्थायी पृष्ठ ठीक 1 म म म ह, स्थायी को इसके स्थापित होने के दस

दिनों के अन्दर स्थायी वन अधिकारी को भेजेगा;

(ग) यदि नोडल अधिकारी यह पाता है कि भू-संदिग्ध मानिचू अथवा स्थायी पृष्ठ ठीक 1 म म म नही है

तो वह स्थायी को दस दिनों के अन्दर स्थायी ता अभिकरण को वापस लौटा देगा और नोडल अधिकारी

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 3

कराये और उसे यथास्थित राज्य सरकार या संघ राज्य शासन, या यथास्थित राज्य सरकार अथवा संघ

राज्य क्षेत्र शासन द्वारा अधिकृत अधिकारी, जो नोडल अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो, को अप्रतिष्ठित

करुणः

(ड.) भू-संदिग्ध मानिच और माणप की जांच के पश्चात और ऐसी जांच जो आवश्यक समझी जाए, करने के पश्चात ऐसे मामलों के अंतिम रूप से निपटान हेतु यथास्थित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र शासन, या यथास्थित राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र शासन द्वारा विधिवत प्राधिकृत अधिकारी,

जो नोडल अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो, निर्धारित शतक को पूरा करने के अधीन रहेंगे

पूर्वाक्षेप की अनुमित दशमे, या ऋषिभागीय वन अधिकारी से ऋषिस् ताव ऋषिपू त होने के पच् चीस िदन के भीतर उसे अस् वीकार कर दशमे और उसकी संसूचना अगले पांच िदन के भीतर संबंधित ऋषिभागीय अधिकारी और ऋषियोक्त अभिकरण को सूचित कर दशमः;

(6) (क) इन नियमों में अन्तर्विकसी बात के होते हुए भी, वृक्षों की कटाई किए बिना खिजड़ों का प्रवक्षण करने के

लिए और संरक्षित क्षेत्रों के बाहर के खनन ब्लॉक, संरक्षित क्षेत्रों के पारिस्थितिकी-संवेदी जोन, अभिज्ञात बाघ कोरीडोर और चालीस प्रतिशत से कम वनावरण मंथनई सड़क या रास्ते का निर्माण करने के लिए अधिनियम के अधीन अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए। भारतीय वन सर्वेक्षण

मानिचू और इस आशय का ंमाणपू िक यह ंस् ताव उपयुर्क् त अपेक्षा को पूरा करता है, ंस्
तुत िकया
जाएगा;

संदिग्ध मानिच्छ और २ माणपू ठीक ५ म मं है, २ स् ताव को २ ाप् त होने के दस िदन की अविध के भीतर

(ग) यदि नोडल अधिकारी यह पाता है कि भू-संदिग्ध मानिचू या २ माणपू ठीक ५ म म॥ नह॥ ह. तो वह इस २ स् ताव को दस दिन की अविध के भीतर २ योक् ता अभिकरण को वापस लौटा देगा और नोडल अधिकारी द्वारा ली गई उक् त समयाविध और २ योक् ता अभिकरण द्वारा इस २ स् ताव को पुनः २ स् तुत करने की समयाविध को किसी भावी संदिग्ध के लिए नह॥ िगना जाएगा;

(घ) ँभागीय वन अधिकारी, ँयोक् ता अभिकरण ँरा ँस् तुत भू-संदिभत मानिच् और ँमाण-प् माणित करेगा और भू-संदिभत मानिच् और ँमाण-प् की ँाि के तीस िदन की अविध के भीतर सीधे नोडल अधिकारी को अिषित करेगा;

(ગ) િનયમ 7 મઃ -

"यदि ०.५ स् ताव मऽ एक सौ हेक् टेयर से अधिक वन भूमि अथवा पक्के का नवीकरण अन् तवर्लित हो तो क्षेत्रीय कार्यालय, यथास्थित राज् य सरकार अथवा संघ शासित क्षेत्र ०.५ शासन से सभी बाबत पुनर् ०.५ स् ताव

की ०२०३ के प.तालीस दिन के भीतर, अपवितत की जाने वाली ०२स् तावित वन भूमि का निरीक्षण करेगा और स्थल निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करेगा :

परन्तु वन भूमि मश खिज का पूर्वक्षण करने हेतु अधिनियम के अधीन अनुमोदन की वांछा करने वाले ०२स् ताव के मामले मश, क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा पूर्व स्थल निरीक्षण तभी अपेक्षित होगा जब सड़क, माग के निमार्ण;

वेध छि की खुदाई और सभी ऐसे वनेतर उद्देश्य हेतु अपेक्षित वन भूमि का क्षेत्र एक सौ हेक्टेयर से अधिक हो।";

(ii) उप-नियम (4) मश खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात :-

"(ग) यदि ०२स् ताव मश एक सौ हेक्टेयर से अधिक वन भूमि और पट्टे का नवीकरण अन्तर्वर्तित है तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सभी बाबत पूर्ण ०२स् ताव की ०२०३ के दस दिन के भीतर संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से अनुरोध करेगा कि वह अपवितत की जाने वाली ०२स् तावित वन भूमि का निरीक्षण करे और प.तालीस दिन के भीतर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को रिपोर्ट ०२स् तृत करे:

परन्तु वन भूमि मश खिज का पूर्वक्षण करने हेतु अधिनियम के अधीन अनुमोदन की वांछा करने वाले ०२स् ताव के मामले मश, क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा पूर्व स्थल निरीक्षण तभी अपेक्षित होगा जब सड़क, माग के निमार्ण;

वेध छि की खुदाई और सभी ऐसे वनेतर उद्देश्य हेतु अपेक्षित वन भूमि का क्षेत्र एक सौ हेक्टेयर से अधिक है।"

परन्तु यह और कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से क्षेत्रीय कार्यालय को स्थल निरीक्षण के लिए

अनुरोध की संसूचना देने तथा क्षेत्रीय कार्यालय से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को स्थल निरीक्षण

रिपोर्ट

सम्प्रेषित करने मश लगने वाला कुल समय, क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा स्थल निरीक्षण करने मश लिए गए समय के

अतिरिक्त, दस

दिन से अधिक नहीं होगा";

(घ) नियम 8 के उप-नियम (1) मश,-

(i) खंड (छ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात :-

"(छ) यदि वन संरक्षक यह पाता है कि अनुपालन रिपोर्ट सभी बाबत पूर्ण है तो वह नियम 6 के उप-

नियम (3) के उप-खंड (च) मश निर्दष्ट जिला कलक्टर से ०२०३ त वन अधिकारी को मान्यता देने

तथा निहित होने और ०२त् येक ग्राम सभा की सहमित की ०२िया पूरी होने संबंधी रिपोर्ट के साथ ऐसी

रिपोटर् ँभागीय वन अधिकारी से ँाप् त होने के पंंह िदन की अविध के भीतर नोडल अधिकारी को अल्लेिषत करेगा :

परन् तु यदि वन संरक्षक यह पाता है िक अनुपालन रिपोटर् पूणर् नहल है तो वह वन ँभागीय अधिकारी से इसकी ँािर् की पंंह िदन की अविध के भीतर उपभोक् ता अभिकरण और वन ँभागीय अधिकारी को अनुपालन रिपोटर् मं कमी अथवा किमय के बारे मं बताएगा";

(ii) खंड (झ) के स् थान पर, िनम् निलिखत खंड रखा जाएगा, अर्थात :-

"(झ) यदि नोडल अधिकारी यह पाता है िक अनुपालन रिपोटर् सभी बाबत पूणर् है तो वह ऐसी रिपोटर् वन संरक्षक

से इसकी ँािर् की पंंह िदन की अविध के भीतर, यथािस्थित राज् य सरकार अथवा संघ राज् य क्षेत्र् ँशासन को अल्लेिषत करेगा:

परन् तु यथािस्थित राज् य सरकार अथवा संघ राज् य क्षेत्र् ँशासन अनुपालन रिपोटर् सीधे ही पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंालय को भेजने के िलए नोडल अधिकारी को ँािधकृत करेगा:

'Hkkx IIµ[k.M 3(i)°

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 5

परन् तु यह और भी िक यदि नोडल अधिकारी यह पाता है िक अनुपालन रिपोटर् अपूणर् है तो वह उपभोक् ता अभिकरण, वन संरक्षक और ँभागीय वन अधिकारी को अनुपालन रिपोटर् मं कमी या किमय के बारे मं वन संरक्षक से इसकी ँािर् के पंंह िदन की अविध के भीतर सूिचत करेगा।

(iii) खंड (ड) के स् थान पर िनम् निलिखत खंड रखा जाएगा, अर्थात :-

"(ड) यदि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंालय या क्षेत्र्ीय कार्यालय, यथािस्थित, यह पाता है िक अनुपालन रिपोटर् हर ँकार से पूणर् है तो वह इस अधिनियम के अधीन अंतिम अनुमोदन ँदान करेगा और ऐसे अनुमोदन के बारे मं यथािस्थित राज् य सरकार या संघ राज् य क्षेत्र् ँशासन को अनुपालन रिपोटर् की ँािर् के बीस िदन की अविध के भीतर सूिचत करेगा :

परन् तु यदि यथािस्थित पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंालय या क्षेत्र्ीय कार्यालय यह पाता है िक अनुपालन रिपोटर् अपूणर् है तो वह अनुपालन रिपोटर् मं कमी या किमय के बारे मं यथािस्थित राज् य सरकार या संघ राज् य क्षेत्र् ँशासन, नोडल अधिकारी और उपभोक् ता अभिकरण को अनुपालन रिपोटर् की ँािर् के बीस िदन की अविध के भीतर सूिचत करेगा ।"

दीपक कुमार सिन्हा, वन महानिरीक्षक (वन संरक्षण)

टिप्पण :- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) मश सा.का.नि. 23(अ),

तारीख 10 जनवरी, 2003 द्वारा संशोधित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. 94(अ), तारीख 03

फरवरी, 2004; सा.का.नि. 107(अ), तारीख 09 फरवरी, 2004; सा.का.नि. 185(अ), तारीख 14 मार्च, 2014 और सा.का.नि.

713(अ), तारीख 10 नवम्बर, 2014 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

(Forest Conservation Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th March, 2017

G.S.R. 200(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Forest (Conservation) Rules, 2003, namely: -

1. (1) These rules may be called the Forest (Conservation) Amendment Rules, 2016.

2. In the Forest (Conservation) Rules, 2003, -

(a) In rule 2, after clause (ca), the following clause shall be inserted, namely: -

“(caa) “**District Collector**” means an officer appointed by the State Government or the Union territory Administration, as the case may be, under the designation of District Collector or Deputy Commissioner or any such similar designation, to hold charge of the administration of the revenue district having jurisdiction over the forest land for which the approval of the Central Government under the Act is required.”;

(b) in rule 6, -

(i) in sub-rule (3), for clauses (e), (f) and (g), the following clauses shall respectively be substituted, namely:-

“(e) the District Collector shall-

(i) complete the process of recognition and vesting of forest rights in accordance with the provisions of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007) for the entire forest land indicated in the proposal;

(ii) obtain consent of each Gram Sabha having jurisdiction over the whole or a part of the forest land indicated in the proposal for the diversion of such forest land and compensatory and ameliorative measures, if any, having understood the purposes and details of diversion, wherever required; and

(iii) forward his findings in this regard to the Conservator of Forests;

(f) the entire process referred to in clause (e) shall be completed by the District Collector within the time period stipulated in these rules for grant of in-principle approval under the Act to the proposal;

(g) the Conservator of Forests shall examine the factual details and feasibility of the proposal, carry out site-inspection in case the area of forest land proposed to be diverted is more than forty hectares, and forward the proposal along with his recommendations to the Nodal Officer;” ;

(ii) after sub-rule (4), the following sub-rules shall be inserted, namely:-

- “(5) (a) notwithstanding anything contained in these rules, the proposal to obtain approval under the Act to undertake prospecting of minerals without felling of trees and construction of new road or path in mining blocks falling outside the protected areas, eco-sensitive zone of protected areas, identified tiger corridors and having no forest cover of more than ten percent crown density as per the latest India State of Forest Report published by the Forest Survey of India, shall be submitted by the User Agency in a letter form along with a georeferenced map indicating boundary of the prospecting block, location of each bore-hole site and roads or paths to be used for prospecting; and a certificate to the effect that the proposal meets the afore-mentioned requirements to the Nodal Officer;
- (b) the Nodal Officer, after having received the proposal under clause (a) and on being satisfied that the geo-referenced map and the certificate are in order, shall send the proposal to the Divisional Forest Officer within a period of ten days of the receipt of the proposal;
- (c) if the Nodal Officer, finds that the geo-referenced map or the certificate are not in order, he shall return the proposal within a period of ten days to the User Agency and the said period taken by the Nodal

Officer and the time taken by the User Agency to re-submit the geo-referenced map and the certificate shall not be counted for any future reference;

(d) the Divisional Forest Officer shall authenticate the geo-referenced map and certificate submitted by the User Agency and forward the same directly to the State Government or Union territory Administration, as the case may be, or an officer not below the rank of the Nodal Officer, authorized by the State Government or Union territory Administration, as the case may be, to finally dispose of such proposals, within thirty days of its receipt;

(e) the State Government or the Union territory Administration, as the case may be, or the officer not below the rank of the Nodal Officer, duly authorised by the State Government or the Union territory Administration, as the case may be, to finally dispose of such proposals, after examination of the geo-referenced map and certificate and after such further enquiry as it may consider necessary, grant permission for prospecting of minerals subject to fulfillment of stipulated conditions, or reject the same within twenty-five days of receipt of the proposal from the Divisional Forest Officer and communicate the same to the concerned Divisional Forest Officer and the User Agency, within next five days;

- (6) (a) notwithstanding anything contained in these rules, proposal to obtain approval under the Act to undertake prospecting of minerals without felling of trees and construction of new road or path in mining blocks falling outside the protected areas, eco-sensitive zone of protected areas, identified tiger corridors and having no forest cover of more than forty percent crown density as per the latest India State of Forest Report published by the Forest Survey of India, shall also be submitted in a letter form along with a geo-referenced map indicating boundary of the prospecting block, location of each bore-hole site and roads or paths to be used for prospecting; and a certificate to the effect that the proposal meets the afore-mentioned requirements to the Nodal Officer;
- (b) the Nodal Officer, after having received the proposal under clause (a) and on being satisfied that the geo-referenced map and the certificate are in order, shall send the proposal to the Divisional Forest Officer within a period of ten days of the receipt of the proposal;
- (c) if the Nodal Officer, finds that the geo-referenced map or the certificate are not in order, he shall return the proposal to the User Agency within a period of ten days and the said period taken by the

'Hkkx Iµ[k.M 3(i)°

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 7

Nodal Officer and the time taken by the User Agency to re-submit the proposal shall not be counted for any future reference;

- (d) the Divisional Forest Officer shall authenticate the geo-referenced map and certificate submitted by the User Agency and forward the same directly to the Nodal officer, within a period of thirty days of receipt of the geo-referenced map and the certificate;
- (e) the proposal received by the Nodal Officer under clause (d) shall be further processed in the manner and within the period as provided in clause (i) to clause (m) of sub-rule (3) and sub-rule (4) of rule 6 and rule 7 of these rules." ;

(c) **In rule 7 –**

(h) in sub-rule (2), for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:

"In case a proposal involves forest land more than one hundred hectares or renewal of lease, Regional Office shall within forty-five days of the receipt of the proposal complete in all respects from the State Government or the Union territory Administration, as the case may be, inspect the forest land proposed to be diverted and prepare a site inspection report:

Provided that in case of the proposals seeking approval under the Act for prospecting of minerals in forest land, prior site inspection by the Regional Office shall be required only if the area of forest land required for construction of roads, paths, drilling of bore holes and all such non-forest purpose is more than one hundred hectares." ;

(ii) in sub-rule (4), for clause (c), the following clause shall be substituted, namely :-

"(c) in case the proposal involves forest land more than one hundred hectares or renewal of lease, the Ministry of Environment, Forests and Climate Change shall within ten days of the receipt of a proposal complete in all respects, request the concerned Regional Office to inspect the forest land proposed to be diverted and submit a report to the Ministry of Environment, Forests and Climate Change within a period of forty-five days:

Provided that in case of the proposals seeking approval under the Act for prospecting of minerals in forest land, prior site inspection by the Regional Office shall be required only if the area of forest land actually required for construction of roads, paths, drilling of bore holes and all such non-forest purpose is more than one hundred hectares:

Provided further that the total time taken in communication of the request for site inspection from the Ministry of Environment, Forests and Climate Change to Regional Office and communication of the site inspection report from the Regional Office to the Ministry of Environment, Forests and Climate Change shall not be more than ten days, over and above the time taken in undertaking site inspection by the Regional Office."

(d) in rule 8, in sub-rule (1), -

(i) for clause (g), the following clause shall be substituted, namely:-

"(g) in case the Conservator of Forests finds that the compliance report is complete in all respect, he shall forward such report along with the report on completion of the process of recognition and vesting of forest rights and consent of the each Gram Sabha received from the District Collector referred to in sub-clause (f) of sub-rule (3) of rule 6, to the Nodal Officer within a period of fifteen days of its receipt from the Divisional Forest Officer:

Provided that in case the Conservator of Forests finds that the compliance report is incomplete, he shall communicate the shortcoming or shortcomings in the compliance report to the User Agency and the Divisional Forest Officer within a period of fifteen days of its receipt from the Divisional Forest Officer" ;

(ii) for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:-

"(i) in case the Nodal Officer finds that the compliance report is complete in all respect, he shall forward such report to the State Government or Union territory Administration, as the case may be, within a period of fifteen days of its receipt from the Conservator of Forests:

Provided that the State Government or the Union Territory Administration, as the case may be, may authorize the Nodal Officer to send the compliance report directly to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the Regional Office, as the case may be:

Provided further that in case the Nodal Officer finds that the compliance report is incomplete, he shall communicate the shortcoming or shortcomings in the compliance report to the User Agency, the Conservator of Forests and the Divisional Forest Officer within a period of fifteen days of its receipt from the Conservator of Forests:" ;

(iii) for clause (m), the following clause shall be substituted, namely:-

"(m) in case the Ministry of Environment, Forests and Climate Change or the Regional Office, as the case may be, finds that the compliance report is complete in all respect, it shall accord the final approval under the Act and communicate such approval to the State Government or the Union Territory Administration, as the case may be, within a period of twenty days of the receipt of the compliance report :

Provided that in case the Ministry of Environment, Forests and Climate Change or the Regional Office, as the case may be, finds that the compliance report is incomplete, the shortcoming or shortcomings in the compliance report shall be communicated to the State Government or the Union territory Administration, as the case may be, the Nodal Officer and the User Agency, within a period of twenty days of the receipt of the compliance report."

[F. No. 11-43/2013-FC (Vol.)]

DEEPAK KUMAR SINHA, Inspector General of Forests (Forest Conservation)

Note :— The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 23(E), dated the 10th January, 2003 and subsequently amended vide G.S.R. 94(E), dated the 3rd February, 2004; vide G.S.R. 107(E), dated the 9th February, 2004; vide G.S.R. 185(E), dated the 14th March, 2014 and vide G.S.R. 713(E), dated the 10th November, 2014.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Digitally signed by

KUMAR

ALOK

ALOK

KUMAR

Date: 2017.03.08

15:57:02 +05'30'